संख्या-30/2018/क0नि0-4-701/11-2018-300(19)/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,

वाणिज्य कर,

उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 06 जुलाई, 2018**

विषयः- जनपद इलाहाबाद में वाणिज्य कर कार्यालय भवन के मरम्मत कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-इलाहाबाद-12(v)भाग-3/2018-19/222/वाणिज्य कर, दिनांक 30 मई, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष2018-19 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रु0-10.00 करोड़ में से जनपद इलाहाबाद में वाणिज्य कर कार्यालय भवन के मरम्मत कार्य हेतु रूपया-39.96 लाख (रूपया उन्तालीस लाख छियानवे हजार मात्र) का भुगतान कार्यदायी संस्था, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड इलाहाबाद को किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(ii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30.03.2018 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

(iv) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी मद पर व्यय किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-30/2018/क0नि0-4-701(1)/11-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2. निदेशक, द्वितीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद उ0प्र0।

4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

5. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।

6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9

7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1

8. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।